

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059

E-mail : rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 1657
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक 22.08.22

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd., Raipur Laying Optical-Eiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.
रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021
संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठ क्रमांक/तक.अधि./M-288 दिनांक 07.04.2022

—00000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. चतुर्थ तक अम्बुजा मॉल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापुर, मोहला-अडजल, मेटेपारा-मोहला, अम्बागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सरोली-डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-विचारपुर के मुख्य मार्गों के सड़क किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.963 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 04 बिन्दुओं की आपत्ति का निराकरण कर जानकारी तैयार कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के विवरण में 1.33 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 1.548 हे. संरक्षित वनभूमि लेख है जबकि विचाराधीन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 में 1.33 हे. तथा 1.548 हे. दोनो को आरक्षित वनभूमि दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./2317 दिनांक 18.10.2021 में बिन्दु क्र. 01 (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) अनुसार वन क्षेत्र विवरण में आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हे, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.085 हे., कुल 2.963 हे. वनभूमि का उल्लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये हैं। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव द्वारा उनके पत्र क्र./वविनि/2022/मा.चि./1274 दिनांक 02.08.2022 द्वारा वन विकास परियोजना मंडल अंतर्गत सम्मिलित वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 31 से 38 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 31 से 38 में संधारित Form IV में वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव का सील सहित हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (मूलप्रति संलग्न)
4	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :-	प्रपत्र संलग्न।

अतः मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना राजनांदगांव से वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आपत्तियों का निराकरण उपरांत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार । 4 सेट

पृ.क्र./तक.अधि./ 1658

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.), अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. महाप्रबंधक, (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉ विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

e-Despatch

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059

E-mail : rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/मा.चि/...2317

राजनांदगांव, दिनांक:- 18.10.21

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अं.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.115-890ए/683 रायपुर दिनांक 08.03.2021

-----00000-----

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसका परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त प्रस्ताव का कंडिकावार विवरण निम्नानुसार है :-

बिंदु क्रमांक 1 - आवेदनकर्ता "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। (प्रस्ताव पृष्ठ 01-07)

बिंदु क्रमांक 2 - रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021 आवंटित किए गए हैं। आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 08.)

बिंदु क्रमांक 3 - आवेदनकर्ता "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल,

मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर है। (प्रस्ताव पृष्ठ 09-11)

बिंदु क्रमांक 4 - राजनांदगांव वनमण्डल अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 12...)

बिंदु क्रमांक 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 13-27...)

बिंदु क्रमांक 6 - प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 28-29...)

बिंदु क्रमांक 7 - "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है। प्रस्ताव प्रपत्र-4 में तैयार कर संलग्न किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ30-38)

बिंदु क्रमांक 8 - सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामों में नेटवर्क विस्तार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत " मेसर्स जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक लागत रुपये 935 लाख है। मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा, साथ ही साथ हमारे जवानों के जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा। (प्रस्ताव पृष्ठ 39...)

बिंदु क्रमांक 9 - प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 40...)

बिंदु क्रमांक 10 - इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 41...)

बिंदु क्रमांक 11 - वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा (प्रस्ताव पृष्ठ 42.....)

भाग-1 - "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 43-45)

भाग-2 - "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट-ऑफ-वे में किया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष का विदोहन शामिल नहीं है तथा मार्ग के किनारे राईट-ऑफ-वे में वृक्ष विद्यमान नहीं हैं। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है। (प्रस्ताव पृष्ठ 46-56)

बिंदु क्रमांक 12 - आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। (प्रस्ताव पृष्ठ 57.....)

बिंदु क्रमांक 13 - "जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली- डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 58.....) 193

बिंदु क्रमांक 14 - राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल की कुल वन भूमि रकबा 92837.551 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 194.....)

बिंदु क्रमांक 15 - व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 17 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 550.498 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 195.....)

बिंदु क्रमांक 16 - व.स.अ.-1980 अंतर्गत राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल में इसी श्रेणी में कुल 01 प्रकरण रकबा 13.524 हे. व्यपवर्तित किया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 196..)

बिंदु क्रमांक 17 - प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 197...)

बिंदु क्रमांक 18 - आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग कलेक्टर, राजनांदगांव से की गई है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 198-200)

बिंदु क्रमांक 19 - राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर, राजनांदगांव का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 201-205)

बिंदु क्रमांक 20 - पंजीयन शुल्क 6000/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 127076 दिनांक 05.02.2021 प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 29000/- डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 127081 दिनांक 05.02.2021 कुल रुपये 35000/- वसूल की जाकर उसे वन मण्डलाधिकारी राजनांदगांव के पी. डी. खाते में चालान क्रमांक 27 दिनांक 05.05.2021 द्वारा जमा कर दिया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 206-207)

बिंदु क्रमांक 21 - प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 208-241)

सहपत्र :- प्रस्ताव एवं DGPS रिपोर्ट 04 प्रतियों में।
टाइमलाईन

पृ.क्र./मा.चि./...2318
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अमन कुमार सिंह महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 18.10.21

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

6

उप मंडल प्रबंधक, प्रक्षेत्र— मोहला/राजनांदगांव
छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/उप मंडल प्रबंधक/15

मोहला-राजनांदगांव, दिनांक 02/08/2022

प्रति,

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha. के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- (1) प्रधान कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 03.06.2022
(2) मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 625 दिनांक 09.06.2022

--- 0 ---

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है। तत्संदर्भ में निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

02/08/2022

उप मंडल प्रबंधक

पानाबरस परियोजना मंडल

राजनांदगांव (छ.ग.)

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा-2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे	
i	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है ।	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली-डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आटिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।
ii	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उपवन संरक्षक की श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं हो)	प्रस्तावित केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर सड़क राईट-ऑफ-वे के भीतर किया जावेगा, जो कि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि है तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं होगी। प्रस्तावित क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता है :- आरक्षित वनभूमि - 1.330 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि - 1.548 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि - 0.085 हेक्टेयर कुल वन भूमि - 2.963 हेक्टेयर
iii	परियोजना की कुल लागत	935 लाख रुपये
iv	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिए वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई, उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली-

		डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु माँग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ।	राजनांदगांव जिले के मोहला, छुरिया, अंबागढ़, खैरागढ़ एवं मानपुर तहसील अंतर्गत लगभग 150 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
vi	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी	राजनांदगांव जिले के मोहला, छुरिया, अंबागढ़, खैरागढ़ एवं मानपुर तहसील अंतर्गत लगभग 150 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 85000 लोग लाभान्वित होंगे ।
vii	सृजित रोजगार	2000 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा ।
2	परियोजना स्कीम का स्थान	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
ii	जिला	राजनांदगांव
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट	सूची संलग्न
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा	भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा	
i	वन की वैधानिक स्थिति ।	राजनांदगांव वनमंडल :-

		आरक्षित वनभूमि - 1.330 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि - 1.548 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि - 0.085 हेक्टेयर कुल वन भूमि - 2.963 हेक्टेयर
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा।	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत किया जाना है, अतएव मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता	आवश्यक नहीं है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा गोलाईवार गेसवारा	आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा है अथवा नहीं ?	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित, जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षक की विशिष्ट टिप्पणियों को संलग्न करें)	नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा-गोटाटोला, अंगारा-भानुप्रतापपुर, मोहला-अड़जल, मेटेपार-मोहला, अंबागढ़-मोंगरा, मोंगरा-फाफामार, गेंदाटोला-गोटाटोला, राजनांदगांव-गेंदाटोला, सोरली-डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़-बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।
viii	क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियाँ	नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है।

x	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है ।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iv	विस्तृत पुनर्वास योजना	निरंक
6	क्षतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा	
i	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र, बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या, प्रत्येक हिस्सों का आकार	आवश्यकता नहीं है ।
ii	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यकता नहीं है ।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों क्रियान्वयन एजेन्सी समय सूची ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	आवश्यकता नहीं है ।
iv	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय लागत	निरंक
v	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो कि उपवन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है ।
vi	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है ।

7	पारेषण लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल पारेषण लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पारेषण लाईन की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
ii	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	मार्ग का अधिकार	आवश्यक नहीं है ।
iv	निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
v	वनक्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
vi	पारेषण टॉवरों की ऊँचाई	आवश्यक नहीं है ।
8	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के लिए	
i	कुल कैचमेन्ट क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	कुल कमाण्ड एरिया	आवश्यक नहीं है ।
iii	कुल जलाशय स्तर	आवश्यक नहीं है ।
iv	उच्च बाढ़ स्तर	आवश्यक नहीं है ।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर	आवश्यक नहीं है ।
vi	परियोजना के कैचमेन्ट एरिया में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि, कृषि भूमि, चारागाह, भवन, आबादी तथा अन्य)	आवश्यक नहीं है ।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ix	पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र (केवल मंझोले व बड़े परियोजनाओं के लिए)	आवश्यक नहीं है ।
xii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न का कुल क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xiii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।

9	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे(केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	पूर्व निर्मित सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iv	वनक्षेत्र से गुजरने वाली सड़क की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	आवश्यक नहीं है ।
iii	वनक्षेत्र एवं गैरर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/अयस्क धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नहीं है ।
iv	खनिज/अयस्क धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली एवं भूमिगत)	आवश्यक नहीं है ।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना	आवश्यक नहीं है ।
vii	खनन किए जाने वाले क्षेत्र का ढलान क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाए(केवल नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है ।
ix	नियोजित श्रमिकों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक वनभूमि		
(a)	खनन	आवश्यक नहीं है ।
(b)	खनिज एवं अयस्क भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(c)	अधिभार का निक्षेप	आवश्यक नहीं है ।
(d)	उपकरणों तथा मशीनों के भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(e)	भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(f)	शहर, आवास, कालोनियाँ	आवश्यक नहीं है ।

(g)	सड़क/रेल मार्ग/रोप वे का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(h)	आवश्यक वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है ।
x	परियोजना के तहत उपर (a) से (h) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वनभूमि की माँग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरु/स्थापित न किए जाने के क्या कारण है ?	आवश्यक नहीं है ।
xi	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
xii	बारहमासी नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं जीव मण्डल रिजर्वों से खनन की दूरी	आवश्यक नहीं है ।
xii	पुनः प्रयोग के लिए उपरी सतह मिट्टी के भण्डारण की प्रक्रिया	आवश्यक नहीं है ।
xiii	भूमिगत खनन कार्य में अपेक्षित अवतलन की मात्रा एवं जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है ।
11	लागत-लाभ विश्लेषण	आवश्यक नहीं है ।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो आवश्यक अभिलेख संलग्न है (हाँ/नहीं) ।	नहीं
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो -	
i	प्रारंभ तिथि सहित विवरण	नहीं
ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	नहीं
iii	की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण	नहीं
iv	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ?	नहीं

14	कोई अन्य सूचना	निरंक
15	संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विवरण	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।
16	निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत टिप्पणी	
i	वनभूमि से इमारती, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज का उत्पादन	आवश्यक नहीं है।
ii	क्या जिला इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिए आत्मनिर्भर है ?	आवश्यक नहीं है।
iii	प्रस्ताव के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों पर जीवकोपार्जन एवं जलाऊलकड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण	आवश्यक नहीं है।
iv	कारणों सहित प्रस्ताव का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

Divisional Forest Officer
Rajnandgaon Division (C.G.)



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन भूमि का विवरण कंडिका क्रं. 04

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र / तहसील का नाम	प्रभावित वनखंड / ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि / राजस्व का प्रकार	वन कक्ष क्र. / खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिस्री	बोरिया	आरक्षित वन	FDC 544	1980	0.5	0.099
2	—"	—"	मिस्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 545	660	0.5	0.033
3	—"	—"	मिस्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 547	2220	0.5	0.111
4	—"	—"	खडगांव	सिवनी	आरक्षित वन	FDC 551	400	0.5	0.020
5	—"	—"	उत्तर मानपुर	मानपुर (पूर्व)	आरक्षित वन	918	2600	0.5	0.130
6	—"	—"	मिस्री	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 573	460	0.5	0.023
7	—"	—"	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 513	1540	0.5	0.077
8	—"	—"	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 489	920	0.5	0.046
9	—"	—"	भोजटोला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 464	2600	0.5	0.130
10	—"	—"	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 463	420	0.5	0.021
11	—"	—"	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 461	1560	0.5	0.078
12	—"	—"	खुज्जी	रेंगाडबरी - कारुटोला	आरक्षित वन	668	1280	0.5	0.064
13	—"	—"	खुज्जी	माटराखुज्जी जामनारा	आरक्षित वन	663	1940	0.5	0.097
14	—"	—"	बाघनदी	छुरियाभाग	आरक्षित वन	510	1340	0.5	0.067
15	—"	—"	बाघनदी	जोब	आरक्षित वन	625	2060	0.5	0.103
16	—"	—"	बाघनदी	बाघनदी (द.)	आरक्षित वन	607	80	0.5	0.004
17	—"	—"	बाघनदी	बाघनदी (द.)	आरक्षित वन	606	1140	0.5	0.057
18	—"	—"	बाघनदी	बाघनदी (द.)	आरक्षित वन	608	40	0.5	0.002
19	—"	—"	बाघनदी	बाघनदी (द.)	आरक्षित वन	605	3360	0.5	0.168
योग							26600	0.5	1.330

	जनांदगांव	राजनांदगांव	खडगांव	टेकामटोला	संरक्षित वन	FDC 768	1020	0.5	0.051
	— " —	— " —	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 527	280	0.5	0.014
3	— " —	— " —	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 526	620	0.5	0.031
4	— " —	— " —	उत्तर मानपुर	मानपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 917	1600	0.5	0.080
5	— " —	— " —	मिस्री	उरझे	संरक्षित वन	P 575	3920	0.5	0.196
6	— " —	— " —	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 558	940	0.5	0.047
7	— " —	— " —	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 515	3760	0.5	0.188
8	— " —	— " —	मोहला	चिलमटोला	संरक्षित वन	FDC 487	440	0.5	0.022
9	— " —	— " —	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 462	1520	0.5	0.076
10	— " —	— " —	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 460	1020	0.5	0.051
11	— " —	— " —	खुज्जी	जंतर	संरक्षित वन	FDC P 434	640	0.5	0.032
12	— " —	— " —	चौंकी	संसारगढ़	संरक्षित वन	P 746	280	0.5	0.014
13	— " —	— " —	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 433	1060	0.5	0.053
14	— " —	— " —	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 432	180	0.5	0.009
15	— " —	— " —	मोहला	अड़मागोंदी	संरक्षित वन	P 786	40	0.5	0.002
16	— " —	— " —	चौंकी	चौंकी	संरक्षित वन	P 715	480	0.5	0.024
17	— " —	— " —	चौंकी	भडसेना	संरक्षित वन	P 716	980	0.5	0.049
18	— " —	— " —	चौंकी	मोंगरा (पं.)	संरक्षित वन	P 719	320	0.5	0.016
19	— " —	— " —	चौंकी	चिल्हाटी	संरक्षित वन	P 731	1220	0.5	0.061
20	— " —	— " —	बाघनदी	टीपानगढ़ (उ.)	संरक्षित वन	P 639	200	0.5	0.010
21	— " —	— " —	बाघनदी	छुरियाडोंगरी	संरक्षित वन	P 640	420	0.5	0.021
22	— " —	— " —	बाघनदी	हाटबंजारी	संरक्षित वन	P 641	1240	0.5	0.062
23	— " —	— " —	चौंकी	मेरेगांव	संरक्षित वन	P 712	820	0.5	0.041
24	— " —	— " —	बाघनदी	गहिराभेडी	संरक्षित वन	P 658	840	0.5	0.042
25	— " —	— " —	खुज्जी	भीमपुरी (उ.)	संरक्षित वन	P 677	2140	0.5	0.107
26	— " —	— " —	खुज्जी	रेंगाडबरी — काकटोला	संरक्षित वन	P 674	1120	0.5	0.056
27	— " —	— " —	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	300	0.5	0.015
28	— " —	— " —	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	640	0.5	0.032
29	— " —	— " —	बाघनदी	छुरिया	संरक्षित वन	P 654	960	0.5	0.048
30	— " —	— " —	बाघनदी	गोपालपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 648	1000	0.5	0.050
31	— " —	— " —	बाघनदी	विचारपुर (पू.)	संरक्षित वन	P 626	960	0.5	0.048
योग							30960	0.5	1.548

जनांदगांव	राजनांदगांव	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	37/2	60	0.5	0.003	
2	—“—	—“—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	38	220	0.5	0.011
3	—“—	—“—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	41	60	0.5	0.003
4	—“—	—“—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	61	60	0.5	0.003
5	—“—	—“—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	63	80	0.5	0.004
6	—“—	—“—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	165	240	0.5	0.012
7	—“—	—“—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	207	60	0.5	0.003
8	—“—	—“—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	209	120	0.5	0.006
9	—“—	—“—	छुरिया	कुहीखुर्द	राजस्व वन	97	140	0.5	0.007
10	—“—	—“—	अम्बागढ़ चौकी	आमाटोला	राजस्व वन	117	20	0.5	0.001
11	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	627/1	40	0.5	0.002
12	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	630	100	0.5	0.005
13	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	641	40	0.5	0.002
14	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	656	20	0.5	0.001
15			छुरिया	सागर	राजस्व वन	275/1	440	0.5	0.022
योग							1700	0.5	0.085
कुल योग							59260	0.5	2.963

वनमंडल अधिकारी
 राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव